

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, mail id- dirfood.cg@gov.in, website- https://fcs.cg.gov.in/)

क्रमांक 176 / संचा.-वि.स./ 2025

नवा रायपुर, दिनांक 01/07/2025

प्रति,

संचालक,

कृषि संचालनालय.

इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 800 तारांकित द्वारा श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,
सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 800 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के प्रश्नांश "क" "ख" व "ग" का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) आज ही ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित दिनांक 03.07.2025 तक अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें।

(विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते हैं)।
संलग्न-उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 11/07/2025

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 18/07/2025

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : खरीफ, 2025 हेतु रासायनिक खादों का भंडारण व वितरण

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 800) श्रीराघवेन्द्र कुमार सिंह

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) जांजगीर-चाम्पा जिले में वर्तमान खरीफ सीजन 2025 के लिए कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खादों:-डी.ए.पी. युरिया, सुपर फास्फेट, पोटाश एवं एन.पी.के. के भंडारण व वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जून, 2025 तक तय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति में कितना भंडारण व वितरण हुआ है? जानकारी प्रदान करें? (ख) क्या किसानों को डी.ए.पी. के बदले एन.पी.के. दिए जाने हेतु सेवा सहकारी समितियों को निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां तो निर्देश की प्रति उलपब्ध करावें? (ग) विगत 1 वर्ष में जांजगीर-चाम्पा जिले में नकली खाद अथवा तय दाम से अधिक कीमत में खाद बेचने वालों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विधानसभावार जानकारी प्रदान करें?

Sent From : vidhan | Sent Date : 01/07/2025 11:26:01 |

Remark :

कृषि विभाग